भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 702
29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

बिहार में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

702. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:

क्या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर बिहार के संदर्भ में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) बिहार में वर्तमान कवरेज का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में विशेष रूप से बिहार में कुशल सेवा वितरण के लिए पहुंच में सुधार और लोक स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विशेषकर बिहार के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या कुछ राज्य खराब लोक स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत, सरकार ने लोगों को सुलभ और सस्ती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में बिहार राज्य सहित राज्य सरकारों को सहायता देकर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की दिशा में कई कदम उठाए हैं। एनएचएम स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित और हाशिए पर जीवनयापन कर रहे समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एनएचएम के तहत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए बिहार सहित

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करती है।

भारत के स्वास्थ्य संबंधी बदलते परिवेश (एचडीआई) (अवसंरचना और मानव संसाधन), 2022-23 एक वार्षिक प्रकाशन है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किए गए स्वास्थ्य परिचर्या प्रशासनिक आंकड़ों पर आधारित है। बिहार के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यशील स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों का विवरण एचडीआई 2022-23 के निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है:

https://mohfw.gov.in/sites/default/files/Health%20Dynamics%20of%20India%20%28Infrastructure%20%26%20Human%20Resources%29%202022-23_RE%20%281%29.pdf

एनएचएम के अंतर्गत शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), मातृ मृत्यु दर (एमएमआर), 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर और संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) की संख्या का विवरण अनुलग्नक में सूचीबद्ध है।

पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी-15) ने स्वास्थ्य क्षेत्र के विशिष्ट घटकों के लिए स्थानीय सरकारों के माध्यम से 70,051 करोड़ रुपये के अनुदान की सिफारिश की है और इसे केंद्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है। स्थानीय सरकारों के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए यह अनुदान वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक की पांच साल की अवधि में परिव्याप्त होगा और जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेगा। बिहार राज्य के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एफसी-15 स्वास्थ्य अनुदान के तहत कुल 6016.95 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

प्रधानमंत्री-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 64,180 करोड़ रुपये की राशि से की गई थी। पीएम-एबीएचआईएम के तहत किए जाने वाले उपायों का उद्देश्य प्राथमिक, मध्यम और विशिष्ट सभी स्तरों पर परिचर्या की निरंतरता में स्वास्थ्य प्रणालियों और संस्थानों की क्षमता विकसित करना है, ताकि वर्तमान और भविष्य में महामारियों/आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए स्वास्थ्य प्रणालियों को तैयार किया जा सके। बिहार राज्य के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए पीएम-एबीएचआईएम के तहत कुल 1877.11 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) गरीब और कमजोर परिवारों को प्रति वर्ष 5.00 लाख रु. तक का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को सुदृढ़ करके व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं, संक्रामक रोगों, गैर-संक्रामक रोगों और अन्य स्वास्थ्य मुद्दों को शामिल करते हुए सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए निवारक, प्रोत्साहन, पुनर्वास और उपचारात्मक परिचर्या प्रदान करते हैं। दिनांक 24.11.2024 तक बिहार में कुल 10330 एएएम कार्यशील हैं।

अनुलग्नक

एनएचएम के अंतर्गत शिशु मृत्यु दर (आईएमआर), मातृ मृत्यु दर (एमएमआर), 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर और संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर (एएएम) की संख्या का विवरण

क्र.सं.	राज्यों	शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) 2019-21	मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) (2018-20)	5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (2019-21)	कुल प्रजनन दर (टीएफआर) (2019-21)	दिनांक 24.11.2024 तक संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	20.6	*	24.5	1.28	129
2	आंध्र प्रदेश	30.2	45	35.2	1.68	11862
3	अरुणाचल प्रदेश	12.9	*	18.8	1.80	484
4	असम	31.9	195	39.1	1.87	4794
5	बिहार	46.8	118	56.4	2.98	10330
6	चंडीगढ़	15.5	*	19.7	1.40	58
7	छत्तीसगढ़	44.2	137	50.4	1.82	5849
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	31.8	*	37	1.84	95
9	दिल्ली	24.5	*	30.6	1.62	0
10	गोवा	5.6	*	10.6	1.30	300
11	गुजरात	31.2	57	37.6	1.86	10586
12	हरियाणा	33.3	110	38.7	1.91	3229
13	हिमाचल प्रदेश	25.6	*	28.9	1.66	2482

14	जम्मू और कश्मीर	16.3	*	18.5	1.41	3095
15	झारखंड	37.9	56	45.4	2.26	3974
16	कर्नाटक	25.4	69	29.5	1.67	9949
17	केरल	4.4	19	5.2	1.79	7004
18	लक्षद्वीप	-	*	-	1.42	13
19	मध्य प्रदेश	41.3	173	49.2	1.99	11912
20	महाराष्ट्र	23.2	33	28	1.71	11994
21	मणिपुर	25	*	30	2.17	418
22	मेघालय	32.3	*	40	2.91	611
23	मिजोरम	21.3	*	24	1.87	407
24	नगालैंड	23.4	*	33	1.72	469
25	ओडिशा	36.3	119	41.1	1.82	7344
26	पुदुचेरी	2.9	*	3.9	1.49	127
27	पंजाब	28	105	32.7	1.63	3142
28	राजस्थान	30.2	113	37.5	2.01	11305
29	सिक्किम	11.2	*	11.2	1.05	184
30	तमिलनाडु	18.6	54	22.3	1.76	8246
31	त्रिपुरा	37.6	*	43.3	1.70	1131
32	उत्तर प्रदेश	50.4	167	59.8	2.35	22683
33	उत्तराखंड	39.1	103	45.5	1.85	2225
34	पश्चिम बंगाल	22	103	25.3	1.64	13391
35	तेलंगाना	26.4	43	29.4	1.75	5039
36	लद्दाख	20	*	29.5	1.31	321

* इन राज्यों के लिए एमएमआर संयुक्त रूप से '77' बताया गया है।

स्रोत: शिशु मृत्यु दर, आईएमआर, यू5एमआर और टीएफआर के लिए एनएफएचएस-5, एमएमआर (2018-20) एसआरएस बुलेटिन, संचालित आयुष्मान आरोग्य मंदिर के लिए एएएम पोर्टल। नोट: * से चिह्नित अन्य राज्यों के लिए कुल मातृ मृत्यु दर 77 है।

******